भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .2444

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

2444. श्री ससिकांत सेंतिल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में विशेषकर निःशक्त व्यक्तियों के लिए नि:शक्तता प्रकार के आधार पर श्रेणीबद्ध लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के मानदंड क्या हैं और केवल अस्सी प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्त व्यक्तियों को ही पेंशन दिए जाने के मानदंड के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की निःशक्तता पेंशन में केन्द्र सरकार के अंशदान को बढ़ाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अधिकतम सीमा 8.81 लाख है, जिसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार

ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गंभीर/बहु विकलांगता से ग्रसित लाभार्थियों को शामिल किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के अंतर्गत दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर कोई वर्गीकरण या लाभार्थियों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि , योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों में से लाभ पाने के लिए सबसे उपयुक्त लाभार्थी की सक्रिय रूप से पहचान करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है।

(ख): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत 2009 में शुरू की गई आईजीएनडीपीएस सार्वभौमिक रूप से सभी को शामिल नहीं करती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यंगजनों में से , 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग से संबंधित गंभीर या बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सबसे कमजोर श्रेणी आईजीएनडीपीएस के तहत सहायता के लिए पात्र है। दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि की उपलब्धता की सीमा को देखते हुए , यदि अधिक पात्र लाभार्थी हो , तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास अपने स्वयं के संसाधनों से उन्हें पेंशन देने का विकल्प उपलब्ध है।

(ग): आईजीएनडीपीएस के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी को केंद्रीय सहायता ₹300/- प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹500/- प्रति माह है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर राशि की अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹3716 प्रति माह तक की अतिरिक्त राशि प्रदान कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,000/- हो गई है।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2444 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनडीपीएस
1	आंध्र प्रदेश	24412
2	बिहार	127100
3	छत्तीसगढ़	32085
4	गोवा	466
5	गुजरात	20327
6	हरियाणा	16583
7	हिमाचल प्रदेश	853
8	झारखंड	26349
9	कर्नाटक	44825
10	केरल	66928
11	मध्य प्रदेश	101470
12	महाराष्ट्र	9322
13	ओडिशा	90283
14	पंजाब	5982
15	राजस्थान	30513
16	तमिलनाडु	64096
17	तेलंगाना	20578
18	उत्तर प्रदेश	85773
19	उत्तराखंड	2880
20	पश्चिम बंगाल	59941
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	112
22	असम	34579

23	मणिपुर	1005
24	मेघालय	1558
25	मिजोरम	722
26	नागालैंड	1011
27	सिक्किम	457
28	त्रिपुरा	2131
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
30	चंडीगढ़	100
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव	310
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4635
33	जम्मू और कश्मीर	2465
34	लद्दाख	219
35	लक्षद्वीप	51
36	पुडुचेरी	1271
	कुल	**881394**

*****